पत्र संख्या–6 एस०एस०(6)03 / 2022– 72 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
शुद्धि पत्र

विभागीय राज्यादेश संख्या–5484, दिनांक–06.12.2024 में अंकित (अनुलग्नक सहित) **"प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत"** को विलोपित समझा जाय एवं कंडिका–2 में वर्णित **समस्तीपुर के मुक्तापुर मन** के स्थान पर **आरा के वानासुर** तथा कंडिका 4 (ii) में **समस्तीपुर जिलान्तर्गत** के स्थान पर **आरा जिलान्तर्गत वानासुर मत्स्यबीज प्रक्षेत्र (सरकारी मत्स्यबीज प्रक्षेत्र, कारीसात)** में पढ़ा जाय।

2. इसे इस हद् तक संशोधित समझा जाय।

8/1/25
(पीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03 / 2022 – 72 / पटना–15, दिनांक–09 / 01 / 2025.

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, (ले० एवं हक०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/1/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03 / 2022 – 72 / पटना–15, दिनांक–09 / 01 / 2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/1/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03 / 2022 – 72 / पटना–15, दिनांक–09 / 01 / 2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना एवं बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/1/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03 / 2022 – 72 / पटना–15, दिनांक–09 / 01 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना / सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक / सभी उप मत्स्य निदेशक / सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/1/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03 / 2022 – 72 / पटना–15, दिनांक–09 / 01 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ मत्स्य निदेशालय के योजना शाखा / बजट शाखा / लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/1/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03 / 2022 – 72 / पटना–15, दिनांक–09 / 01 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी / योजना शाखा कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/1/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03 / 2022 – 72 / पटना–15, दिनांक–09 / 01 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/1/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03 / 2022 – 72 / पटना–15, दिनांक–09 / 01 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, ICAR-CIFA, Kausalyaganga, Bhubaneswar-751002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/1/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03 / 2022 – 72 / पटना–15, दिनांक–09 / 01 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

8/1/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03 / 2022 – 72 / पटना–15, दिनांक–09 / 01 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/1/25

सरकार के अपर सचिव

आ०

संख्या–6 एस० एस०(6)03 / 2022–5484 /

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 06 / 12 / 2024

XX
अनौपचारिक
रूप
से परामर्शित।

XX

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :– चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिहार राज्य के लिए "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" के अन्तर्गत निर्माणाधीन फिश ब्रुड बैंक तथा प्रस्तावित इनटिग्रेटेड एक्वा पार्क हेतु ICAR-CIFA, भुवनेश्वर से तकनीकी कन्सल्टेन्सी सेवा प्राप्त कराने हेतु ₹ 18.50 (अठारह लाख पचास हजार रुपया मात्र) राशि की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिहार राज्य के लिए "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" के अन्तर्गत निर्माणाधीन फिश ब्रुड बैंक तथा प्रस्तावित इनटिग्रेटेड एक्वा पार्क हेतु ICAR-CIFA, भुवनेश्वर से तकनीकी कन्सल्टेन्सी सेवा प्राप्त कराने हेतु ₹ 18.50 (अठारह लाख पचास हजार रुपया मात्र) राशि की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–। के रूप में संलग्न।

2. केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला स्थित राघोपुर–बखरी फिश सीड फार्म में निर्माणाधीन "फिश ब्रुड बैंक" तथा समस्तीपुर के मुक्तापुर मन में "इनटिग्रेटेड एक्वा पार्क" इकाई का निर्माण प्रस्तावित है। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के सफल निर्माण और संचालन के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता की आवश्यकता है। ICAR-CIFA, भुवनेश्वर देश की प्रतिष्ठित मात्स्यिकी संस्थाओं में से एक है, जो इनलैंड मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विशेष वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करती है। ICAR-CIFA, भुवनेश्वर द्वारा पूर्व में कई सफल परियोजनाओं का संचालन किया है जो उनकी उच्चतम क्षमता और अनुभव को दर्शाता है।

3. दोनों परियोजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण करने तथा सफलतापूर्वक संचालन प्रारम्भ होने तक ICAR-CIFA, भुवनेश्वर के विशेषज्ञों की वैज्ञानिक एवं तकनीकी सेवा प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं ताकि निमार्ण कार्य एवं संचालन सफलतापूर्वक हो सके।

इस हेतु उक्त मात्स्यिकी संस्थान द्वारा अपने पत्रांक–CIFA/DC/4/2024, दिनांक–02.10.2024 के द्वारा दोनो इकाईयों हेतु कन्सल्टेन्सी सेवा उपलब्ध करने हेतु सहमति प्रदान करते हुए, कन्सल्टेंसी सेवा शुल्क के रूप में कुल ₹ 18.50 लाख राशि के भुगतान करने का अनुरोध किया गया। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिहार राज्य के लिए ''प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना'' के अन्तर्गत निर्माणाधीन ''फिश ब्रुड बैंक'' तथा प्रस्तावित ''इनटिग्रेटेड एक्वा पार्क'' हेतु ICAR-CIFA, भुवनेश्वर से तकनीकी कन्सल्टेन्सी सेवा प्राप्त कराने हेतु ₹ 18.50 (अठारह लाख पचास हजार रूपया मात्र) राशि की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव हैं।

4. योजना का उद्देश्य :

i) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत सीतामढ़ी जिलान्तर्गत स्वीकृत एवं निमार्णाधीन फिश ब्रुड बैंक के निर्माण/संचालन हेतु कन्सल्टेन्सी सेवा प्रदाता के माध्यम से तकनीकी परामर्श एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संचालन एवं प्रबंधन में आवश्यक सहयोग प्राप्त करना।

ii) कन्सल्टेन्सी सेवा प्रदाता के माध्यम से समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रस्तावित Integrated Aqua Park हेतु **feasibility report** एवं DPR तैयार कराना, निर्माण कार्य में आवश्यक सुझाव प्राप्त करना एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संचालन एवं प्रबंधन में आवश्यक सहयोग प्राप्त करना।

5. इससे होने वाले लाभ :

i) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत निमार्णाधीन फिश ब्रुड बैंक एवं प्रस्तावित Integrated Aqua Park के निर्माण हेतु आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकेगा। उक्त योजनाओं से संबंधित निर्माण, अनुश्रवण एवं संचालन ससमय किया जा सकेगा।

ii) फिश ब्रुड बैंक के अधिष्ठापन से राज्य के मत्स्य कृषकों को सालोभर गुणवत्तायुक्त विभिन्न मत्स्य प्रजातियों के ब्रुडर एवं मत्स्य अंगुलिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही भारतीय मेजर कार्प के विविध मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण के साथ–साथ ब्रुडर एवं मत्स्य बीज भी उपलब्ध हो सकेगा।

iii) इनटिग्रेटेड एक्वा पार्क के सफल निर्माण होने पर ईको–टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तथा पालन मात्स्यिकी से संबंधित गतिविधियों, वैज्ञानिक पालन तकनीक, मत्स्य बीज एवं मत्स्य आहार के तुलनात्मक गुणवत्ता की जाँच एवं परामर्श, प्रशिक्षण, प्रत्यक्षण आदि एक ही छत के नीचे प्रदर्शित हो सकेगा, जिससे राज्य के कृषकों एवं उद्यमियों मात्स्यिकी क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे।

iv) उक्त दोनो परियोजना राज्य के मात्स्यिकी क्षेत्र में ''उत्कृष्टता का केन्द्र'' के रूप में विकसित हो सकेगा।

6. कार्य का दायरा (Scope of Work)

योजनान्तर्गत सेवा प्रदाता संस्थान यथा द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किया जाएगा।

i) स्थल निरीक्षण : सेवा प्रदाता संस्थान द्वारा परियोजना स्थलों का दौरा करके स्थल की समग्र समीक्षा किया जाएगा।

ii) सम्भाव्यता रिपोर्टः परियोजनाओं की तकनीकी और आर्थिक सम्भाव्यता पर रिपोर्ट (Feasibility Report) तैयार किया जाएगा।

iii) डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में लागत अनुमान सहित निर्माण और संचालन की योजनाएं तैयार किया जाएगा।

iv) परियोजना के निर्माण के क्रम में आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

v) परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना के संचालन में आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

7. इस योजना से संबंधित विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I रूप में संलग्न।

8. इस योजना के तहत निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

9. निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से आहरित कर, ICAR-CIFA, भुवनेश्वर द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाता यथा–State Bank of India (Branch Code-8874), Account No. 10702369125, IFSC Code-SBIN0008874 में अंतरित / उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु आवश्यक पूर्व प्राप्ति रसीद आदि प्राप्त कर विपत्र के साथ संलग्न की जाएगी।

10. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के अनुरूप निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

11. इस योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो सचिव / प्रधान सचिव की अनुमति से निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना संशोधन / दिशा निर्देश निर्गत करेगें।

12. चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001 –निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–0101 –मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन विपत्र कोड 02–2405000010101 के विषय शीर्ष–0101.28.03 –कन्सल्टेन्सी मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट उपबंध प्राप्त कर इस योजना के तहत व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन किया जायेगा।

13. इस स्कीम का लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–3758, दिनांक–31.05.2017 में सन्निहित प्रावधान एवं प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)03 / 2022 के पृष्ठ–56 / टि०, दिनांक–29.11.2024.

14. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)03 / 2022 के पृष्ठ–55 / टि०, तथा डायरी संख्या–शून्य, दिनांक–28.11.2024.

15. वित्त विभाग के पत्र संख्या–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(गीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03/2022 – 5484 /पटना–15, दिनांक–06/12/2024.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03/2022 – 5484 /पटना–15, दिनांक–06/12/2024.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना एवं बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03/2022 – 5484 /पटना–15, दिनांक–06/12/2024.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक/सभी उप मत्स्य निदेशक/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03/2022 – 5484 /पटना–15, दिनांक–06/12/2024.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ मत्स्य निदेशालय के योजना शाखा/ बजट शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03/2022 – 5484 /पटना–15, दिनांक–06/12/2024.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03/2022 –5484 /पटना–15, दिनांक–06/12/2024.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03/2022 – 5484 /पटना–15, दिनांक–06/12/2024.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, (मात्स्यिकी एवं प्रसार), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

5/12/24

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03/2022 – 5484 /पटना–15, दिनांक–06/12/2024.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5/12/24

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)03/2022 – 5484 /पटना–15, दिनांक–06/12/2024.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/12/24

सरकार के अपर सचिव

17

अनुलग्नक–I

चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजना अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के पुनर्गठन योजना के तहत कन्सल्टेन्सी सेवा प्राप्त करने की योजना पर होने वाले संभावित व्यय का विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र०	योजना का नाम	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नाम	कोषागार का नाम
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	''प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना'' के अन्तर्गत निर्माणाधीन फिश ब्रुड बैंक तथा प्रस्तावित इनटिग्रेटेड एक्वा पार्क हेतु ICAR-CIFA, भुवनेश्वर से तकनीकी कन्सल्टेन्सी सेवा प्राप्त करने की योजना	0101.28.03–कन्सल्टेंसी	18.50	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
		कुल योग –	**18.50**		

(अठारह लाख पचास हजार रुपया मात्र)

5/12/24
सरकार के अपर सचिव

5484
06/12/2024